The Department of Women and Child Development have brought out Legal Literacy Manuals in the shape of 10 booklets which aim at improving the levels of legal knowledge of semi-literate/ neo-literate, poor women to improve their ability to combat exploitation.

Since violence against women is also related to their status in society Government is implementing various programmes of (a) Training-cum-Income Generating activities such as NORAD, STEP, CCEVT, SEP, DWCRA to economically empower women. A 40 percent reservation for women has been provided under the IRDP Scheme. (b) As a special measure of affirmative action, the Rashtriya Mahila Kosha has been set up to provide credit to poor women in the informal sector with low-transaction cost through the mediation of NGOs. The Mahila Samridhi Yojana has been introduced to enable women to exercise greater control over house-hold savings. (c) Support services such as working women hostels, Short Stay Homes, Creches, family counselling centres etc. and (d) Awareness Generation Programme for Women and dissemination of information regarding their rights. Efforts are also made through print and electronic media to project positive image of women in society and to bring about changes in societal attitudes towards women and girl children.

प्रौढ़ शिक्षा हेतु स्वैच्छिक संगठनों की सहायता

1754. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रौढ शिक्षा के विकास के लिये स्वैच्छिक संगठनों को शत प्रतिशत सहायता प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) चालू वर्ष के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ; और

(घ) प्रौढ़ शिक्षा में अब तक कितने प्रतिशत प्रगति हुई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कु० शैलजा) : (क) जी, हां । अक्तूबर, 1994 में प्रौढ़ शिक्षा में स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता देने संबंधी केन्द्रीय योजना के संशोधन के परिणामस्वरूप, स्वैच्छिक एजेंसियों को अब प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को शुरू करने के लिये शत प्रतिशत सहायता दी जाती है ।

(ख) पिछले वर्ष 1993–94 के दौरान स्वैच्छिक एजेंसियों को शत-प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता नहीं दी गई क्योंकि शत-प्रतिशत सहायता देने के लिये संबंधित योजना 1994–95 में ही चालू की गई थी ।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को, 1997 तक पूरे देश में 15–35 आयु वर्ग के 100 मिलियन लोगों को साक्षर बनाने का कार्य सौंपा गया है । कोई भी अलग-अलग वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं । साक्षर बनाने का मुख्य अधिगम स्वयंसेवक आधारित संपूर्ण साक्षरता अभियानों के माध्यम से है जो कि जिला में सभी मुख्य स्वैच्छिक संगठनों को सम्मिलित करके जिला साक्षरता समितियों द्वारा कार्यान्वित किये जाते हैं । अभी तक पूरे देश मे 335 जिलों को, आंशिक या पूर्णत: संपूर्ण साक्षरता अभियानों में शामिल किया गया है । जहां पर अभी तक संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू नही हुये हैं । वहां स्वैच्छिक एजेंसियों को छोटे क्षेत्रों में साक्षरता कार्य शुरू करने के लिये सहायता दी जाती है । चालू वर्ष (1994–95) के दौरान, 144 स्वैच्छिक एजेंसियों को (16–3–95 तक) 9.09 करोड़ रु० की राशि दी गई । राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के शुरू होने से अब तक सहायता अभियानों के अन्तर्गत 72 मिलियन लोगों को सम्मिलित किय गया है और सभी साक्षरता कार्यक्रमों के अन्तर्गत 44.78 मिलियन लोगों को साक्षर बनाया गया है ।